त्रिपुरा में शांति समझौता

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **केंद्र सरकार, त्रिपुरा की राज्य सरकार** और दो प्रमुख उग्रवादी समूहों अर्थात् **नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT) व ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF)** ने राज्य में हिंसा को समाप्त करने के लिये एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- इस समझौते से राज्य का 35 साल पुराना संघर्ष समाप्त हो जाएगा और हिंसा का परित्याग कर समृद्ध त्रिपुरा के निर्माण की प्रतिबद्धता व्यक्त की जाएगी।

शांति समझौते की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- **सशस्त्र कैडरों का पुनः एकीकरण:** NLFT और ATTF के **328 से अधिक सशस्त्र कैडर आत्मसमर्पण करेंगे** और **समाज में पुनः एकीकृत** होंगे।
- **वित्तीय पैकेज:** त्रिपुरा की जनजातीय आबादी के विकास के लिये **250 करोड़ रुपए के विशेष वित्तीय पैकेज** को स्वीकृति दी गई है।
- **व्यापक पहल:** यह एक बड़े प्रयास का हिस्सा है, जिसके तहत **वर्ष 2014 से 2024 के दौरान पूर्वोत्तर में 12 महत्त्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर** किये गए, जिनमें से **3 समझौते त्रिपुरा से संबंधित** हैं।

NLTF और ATTF

- **नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (NLFT)** का **गठन वर्ष 1989 में** हुआ था।
- **NLFT** का कथित उद्देश्य **'भारतीय नव-उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद' से मुक्ति** के बाद सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से एक **'स्वतंत्र त्रिपुरा'** की स्थापना करना तथा एक **'विशिष्ट एवं स्वतंत्र पहचान'** को आगे बढ़ाना है।
- नेताओं की व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाओं और संकीर्ण धार्मिक विचारों के कारण NLFT के भीतर कई विभाजन हुए।
- इसे अप्रैल 1997 में [गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967](#) के तहत गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था और **आतंकवाद निरोधक अधिनियम (Prevention of Terrorism Act- POTA) , 2002** के तहत भी प्रतिबंधित किया गया है।
- NLFT फरवरी 2001 में दो समूहों में विभाजित हो गया, **एक का नेतृत्व बिस्वमोहन देबबर्मा** और **दूसरे का नयनबासी जमातिया ने किया**।
- **त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ATTF)** की स्थापना **वर्ष 1990 में** हुई थी।
- यह मतदाता सूची से अवैध प्रवासियों को हटाने और वर्ष 1949 के त्रिपुरा विलय समझौते को लागू करने की मांग करता है।
- यह **उत्तर और दक्षिण त्रिपुरा ज़िलों में सक्रिय** था तथा वर्ष 1991 तक एक दुर्जेय आतंकवादी समूह के रूप में उभरा।
- इसे अप्रैल 1997 में **गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत प्रतिबंधित** कर दिया गया था।

त्रिपुरा में सरकार और विद्रोही समूहों के बीच शांति समझौते का क्या महत्त्व है?

- **शांति और स्थिरता की पुनर्स्थापना:** हिंसा को समाप्त करने का संकल्प लेने वाले **सशस्त्र समूह व हिंसा के चक्र को तोड़ने** के साथ ही **विकास के लिये एक सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा** देने के उद्देश्य से त्रिपुरा में शांति एवं स्थिरता की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- **मुख्यधारा में एकीकरण:** यह समझौता जनजातीय समुदायों के बीच **अलगाव के मुद्दों को हल करते हुए** पूर्व **विद्रोहियों को मुख्यधारा में एकीकृत करने** की सुविधा प्रदान करता है। यह इन व्यक्तियों को समाज में सकारात्मक योगदान देने का अवसर प्रदान करता है।
- **विकास पहल:** केंद्र सरकार ने त्रिपुरा में **जनजातीय आबादी के लिये एक विशेष विकास पैकेज** को मंज़ूरी दी है। यह वित्तीय प्रतिबद्धता भविष्य में संघर्षों को रोकने की रणनीति के रूप में सामाजिक-आर्थिक विकास पर सरकार के विचार को उजागर करती है।
- **सांस्कृतिक संरक्षण:** यह समझौता पूर्वोत्तर के जनजातीय समूहों की सांस्कृतिक विरासत, भाषाओं और पहचान के संरक्षण का समर्थन करता है। यह इन आबादी के बीच अपनेपन और समुदाय की दृढ भावना को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

त्रपिुरा सहति पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद के क्या कारण हैं?

- **अंतर-जनजातीय संघर्ष:** जनजातीय समूहों, वशिष रूप से जमातयिा की धार्मकि संरचना में परविर्तन ने नए अंतर-जनजातीय तनावों को बढ़ावा दयिा, जसिसे मौजूदा जनजातीय-गैर आदवािसी संघर्ष और भी जटलि हो गए।
- **जनसांख्यकिीय परविर्तन:** वर्ष 1947 के बाद **पूर्वी पाकसि्तान (अब बांग्लादेश)** से बड़े पैमाने पर पलायन ने त्रपिुरा की जनसांख्यकिीय स्वरूप को बदल दयिा, जसिसे मुख्य रूप से आदवािसी क्षेत्र बंगाली भाषी मैदानी लोगों के वर्चस्व वाले क्षेत्र में बदल गया। इस**जनसांख्यकिीय उलटफेर ने स्थानीय जनजातयिों के बीच असंतोष** को बढ़ावा दयिा।
- **मज़िोरम उग्रवाद से नकिटता:** मज़िोरम से त्रपिुरा की भौगोलकि नकिटता के कारण राज्य को उग्रवाद के **"दुष्प्रभावों" का सामना करना पड़ा,** जसिसे स्थानीय तनाव और बढ़ गया।
- **वद्रिोही समूहों का गठन:** भूमि और जनसांख्यकिीय परविर्तनों पर असंतोष के कारण वर्ष 1971 में **त्रपिुरा उपजाति जुबा समति (TUJS), 1981 में त्रपिुरा नेशनल वॉलंटयिर्स (TNV) और वर्ष 1989 में नेशनल लबिरेशन फ्रंट ऑफ त्रपिुरा (NLFT)** जैसे वद्रिोही समूहों का गठन हुआ, जसिने उग्रवाद को तीव्र कर दयिा।
- **आर्थकि कारक:** पूर्वोत्तर भारत में वकिास की कमी और सीमति आर्थकि अवसरों, वशिष रूप से युवाओं के लयि, ने व्यापक गरीबी और बेरोज़गारी को उत्पन्न कयिा है, जसिने वद्रिोही संगठनों को आकर्षति कयिा है, जो सामाजकि स्थति वि नर्विाह के साधन प्रदान करते हैं।
- **भौगोलकि कारक:** त्रपिुरा सहति उत्तर-पूर्वी क्षेत्र अपनी 98% सीमाओं को अन्य देशों के साथ साझा करता है, जो शेष भारत के साथ कमज़ोर भौगोलकि संबंधों को उजागर करता है।
  - उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जनसंख्या, राष्ट्रीय जनसंख्या का केवल 3% है, वर्ष 1951 से वर्ष 2001 तक इसमें 200% से अधकि की वृद्धि हुई, जसिसे आजीवकिा और भूमि संसाधनों पर दबाव पड़ा।
- **जनजातीय भूमि का नुकसान:** आदवािसयिों को उनकी कृषि भूमि से वंचति कयिा गया, अक्सर उन्हें बहुत कम कीमत पर बेचा गया और वनों में भेज दयिा गया, जसिसे व्यापक आक्रोश और तनाव उत्पन्न हुआ। भूमि का वंचन उग्रवाद का एक प्रमुख चालक बन गया।
- **राजनीतकि कारक:** त्रपिुरा जातीय समुदायों सहति पूर्वोत्तर भारत कभी-कभी भौगोलकि दूरी और सीमति राजनीतकि प्रतनिधित्वि के कारण केंद्र सरकार द्वारा उपेक्षति महसूस करता है, जसिसे उनकी सांस्कृतकि पहचान और संसाधनों की रक्षा के लए स्वायत्तता की मांग बढ़ जाती है।

त्रपिुरा सहति उत्तर पूर्व भारत में शांति स्थापति करने के लयि सरकार की पहल क्या हैं?

- **संवाद और समझौता वार्ता**: सरकार ने वभिन्नि उग्रवादी समूहों के साथ कई शांति समझौतों पर समझौता वार्ता की और हस्ताक्षर कयि, जसिसे उग्रवादयिों के आत्मसमर्पण एवं स्वायत्त परषिदों का गठन हुआ। उदाहरण: हाल ही में सरकार और उग्रवादी समूहों **NLFT एवं ATTF** के बीच हस्ताक्षरति शांति समझौता।
- **महत्त्वपूर्ण समझौते:**
  - **नगा शांति समझौता:** भारत सरकार और नेशनल सोशलसि्ट काउंसलि ऑफ नगालैंड (के)/नकिी समूह के बीच संघर्ष वरिाम समझौते को एक वर्ष के लयि, सतिंबर, 2024 से सतिंबर, 2025 तक बढ़ा दयिा गया है, जसिसे **नगा शांति समझौते** को और आगे बढ़ाया जा सकेगा।
  - **असम-मेघालय सीमा समझौता, 2022**: 6 क्षेत्रों में ववािदों का समाधान, असम को 18.51 वर्ग कलिोमीटर और मेघालय को 18.28 वर्ग कलिोमीटर आवंटति कयिा गया।
  - **कार्बी आंगलोंग समझौता, 2021**
  - **बोडो समझौता, 2020**
  - **ब्रू-रयिांग समझौता, 2020**
  - **NLFT-त्रपिुरा समझौता, 2019**
- **वकिास पहल:** सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनयिादी ढाँचे, आर्थकि और कौशल वकिास पर ध्यान केंद्रति कयिा है, जसिमें **कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजटि प्रोजेक्ट** एवं कनेक्टवििटी में सुधार के उद्देश्य से वभिन्नि रेलवे व राजमार्ग पहल शामलि हैं।
  - **पूर्वोत्तर औद्योगकि वकिास योजना और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लयि प्रधानमंत्री वकिास पहल (पीएम-डीवाइन) सहति आर्थकि योजनाएँ, वकिास** को बढ़ावा देने के लयि बनाई गई हैं।
  - इसके अतरिक्ति **पूर्वोत्तर वशिष शक्षिा क्षेत्र और कौशल भारत मशिन** जैसे प्रयास शक्षिा और रोज़गार के अवसरों को बढ़ाने की दशिा में हैं।
- **सांस्कृतकि और सामाजकि पहल:** सरकार क्षेत्रीय भाषाओं और सांस्कृतकि उत्सवों को बढ़ावा देती है और वरिासत को संरक्षति करने के लयि सांस्कृतकि केंद्रों का समर्थन करती है। **पूर्वोत्तर परषिद, संयुक्त वकिास परयिोजनाओं और बेहतर कनेक्टवििटी** के माध्यम से अंतरराज्यीय सहयोग को बढ़ाया जाता है, साथ ही सांस्कृतकि आदान-प्रदान कार्यक्रमों से आपसी समझ को बढ़ावा मलिता है।
- **उत्तर पूर्व वकिास के लयि अन्य पहल**
  - **बुनयिादी ढाँचा:**
    - भारतमाला परयिोजना
    - क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)-उड़ान
  - **संपर्क:**
    - भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रपिक्षीय राजमार्ग
  - **पर्यटन:**
    - स्वदेश दर्शन योजना
  - **अन्य:**
    - डजिटिल नॉर्थ ईस्ट वज़िन 2022
    - राष्ट्रीय बाँस मशिन

त्रपिुरा सहति पूर्वोत्तर राज्यों में शांतबिहाली की चुनौतयिाँ क्या हैं?

- **वशि्वास नरि्माण: सरकार और पूर्व वद्रिोहयिों के बीच वशि्वास** स्थापति करना महत्त्वपूर्ण है। ऐतहिासकि शकियतें और अवशि्वास सहयोग एवं एकीकरण प्रयासों में बाधा डाल सकते हैं।
- **नगिरानी और अनुपालन:** सशस्त्र समूहों को समाप्त करने और हसिा को रोकने सहति समझौते की शर्तों का अनुपालन सुनशि्चति करने के लयि मज़बूत नगिरानी तंत्र की आवश्यकता होगी।
- **सामाजकि-आर्थकि एकीकरण: पूर्व वद्रिोहयिों को सामाजकि-आर्थकि ढाँचे में एकीकृत करना चुनौतयिों से भरा है, जसिमें पर्याप्त रोज़गार के अवसर, व्यावसायकि प्रशकि्षण और मनोवैज्ञानकि सहायता प्रदान करना शामलि है।**
- **राजनीतकि गतशीलता:** त्रपिुरा सहति पूर्वोत्तर राज्य में **राजनीतकि परदिृश्य** जटलि है, जसिमें **वभिनि्न हतिधारक शामलि हैं। समावेशी शासन** सुनशि्चति करते हुए इन गतशीलता को नयिंत्रति करना स्थायी शांतकि लयि महत्त्वपूर्ण होगा।
- **नरिंतर उग्रवाद:** क्षेत्र में जारी उग्रवाद के कारण अलग-अलग समूहों या अन्य वद्रिोही गुटों द्वारा शांतसिमझौते का पालन करने से इंकार करने की संभावना बढ़ जाती है, जसिसे हसिा और अस्थरिता बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है।

आगे की राह

- **प्रभावी पुलसिगि:** प्रभावी कानून प्रवर्तन की अनुपस्थतिि ने सशस्त्र हसिा को बढ़ावा दयिा है। **सुशासन और नागरकि अधकिारों द्वारा समर्थति** कुशल पुलसिगि व्यवस्था एवं सुरक्षा बहाल करने हेतु आवश्यक है।
  - उदाहरण के लयि **त्रपिुरा में स्थानीय नेताओं** को शामलि करके **सामुदायकि पुलसिगि पहल** से वशि्वास का नरि्माण हो सकता है तथा सुरक्षा में सुधार हो सकता है।
- **संवाद और बातचीत:** शांतपूिर्ण समाधान केवल वद्रिोही समूहों के साथ संवाद और बातचीत के माध्यम से ही प्राप्त कयिा जा सकता है।
  - त्रपिुरा सरकार जातीय समूहों के साथ संवाद कायम रख सकती है तथा**नागरकि समाज के साथ एक औपचारकि मंच स्थापति कर सकती है** ताकहिाशयि पर पड़े लोगों की आवश्यकताएँ पूरी की जा सके।
- **आर्थकि वकिास:** आर्थकि वकिास में नविेश और रोज़गार सृजन के अवसर उत्पन्न करने से वैकल्पकि आजीवकिा उपलब्ध कराकर तथा गरीबी को कम करके उग्रवाद के मूल कारणों का समाधान कयिा जा सकता है।
  - **त्रपिुरा बाँस मशिन** जैसी पहलों का वस्तिार करने और **बुनयिादी ढाँचे में सुधार करने से रोज़गार सृजति हो सकते हैं, युवाओं को वैकल्पकि आजीवकिा प्रदान की जा सकती है** तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थकि स्थतिकिो बेहतर बनाया जा सकता है, जसिसे उग्रवादी भर्ती की प्रवृत्तकिम हो सकती है।
- **राजनीतकि प्रतनिधित्वि:** जातीय समुदायों के लयि पर्याप्त राजनीतकि प्रतनिधित्वि सुनशि्चति करने से, वशि्वास का नरि्माण करने और उनकी चतिाओं को दूर करने में सहायता मलि सकती है।
  - त्रपिुरा की स्वायत्त ज़लिा परषिदों की तरह **स्थानीय शासन में स्थानीय नेताओं को शामलि करने से** समुदाय का प्रतनिधित्वि सुनशि्चति होता है। नषि्पक्ष चुनावी प्रक्रयिा और राज्य वधिानसभा में प्रतनिधित्वि भी समुदायों को सशक्त बनाता है।
  - **सांस्कृतकि संरक्षण:** पूर्वोत्तर के जातीय समुदायों की **वशिषि्ट सांस्कृतकि वरिासत का सम्मान करने और उसे बढ़ावा देने से उनमें अपनेपन की भावना बढ़ेगी** तथा हाशयि पर होने की भावना कम होगी।
  - **खर्ची महोत्सव** जैसे उत्सवों को बढ़ावा देना तथा **स्थानीय इतहिास और संस्कृत**िको स्कूल पाठ्यक्रम में शामलि करना।

नषि्कर्ष

त्रपिुरा में हाल ही में हुआ शांतसिमझौता क्षेत्र में स्थरिता और वकिास की दशिा में एक आशाजनक मोड़ दर्शाता है। हालाँकइिसके कार्यान्वयन के लयि उन अंतर्नहिति चतिाओं का समाधान करना आवश्यक होगा, जनि्होंने दशकों से उग्रवाद को बढ़ावा दयिा है।

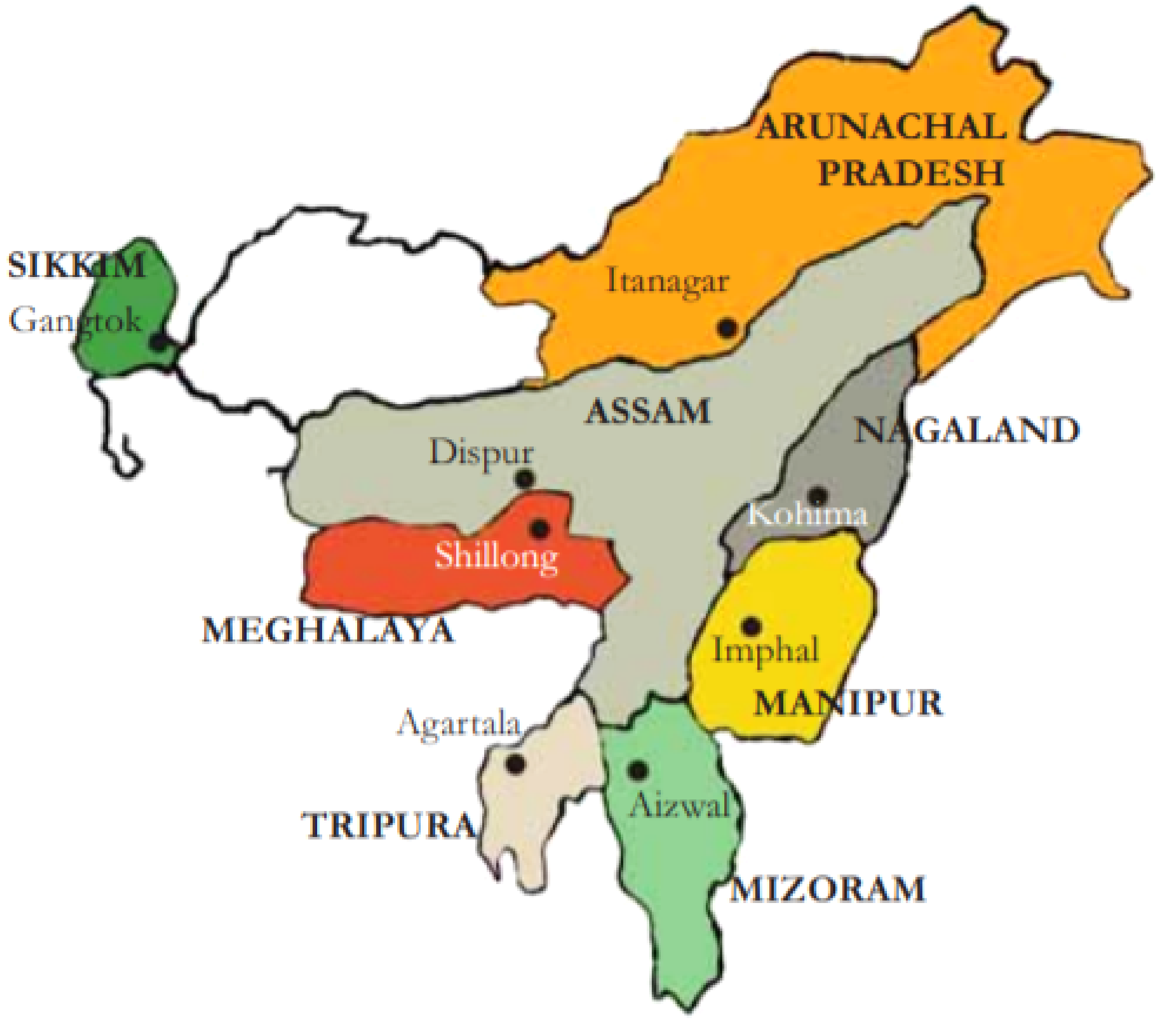

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

????????????:

प्रश्न. भारत के संवधिान की कसि अनुसूची में कुछ राज्यों में अनुसूचति क्षेत्रों के प्रशासन और नयिंत्रण के लयि वशिष प्रावधान हैं? (2008)

(a) तीसरा
(b) पाँचवाँ
(c) सातवाँ
(d) नौवाँ

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न 1. मानवाधकिार सक्रयितावादी लगातार इस वचिार को उज़ागर करते हैं कि सशस्त्र बल (वशिष शक्तयिाँ) अधनियिम, 1958 (AFSP) एक क्रूर अधनियिम है, जसिसे सुरक्षा बलों द्वारा मानवाधकिार के दुरुपयोगों के मामले उत्पन्न होते हैं। इस अधनियिम की कौन-सी धाराओं का सक्रयितावादी वरिोध करते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त वचिार के संदर्भ में इसकी आवश्यकता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजयि। (2015)

प्रश्न 2. भारत का उत्तर-पूर्वीय प्रदेश बहुत लम्बे समय से वद्रिोह-ग्रसति है। इस प्रदेश में सशस्त्र वद्रिोह की अतजिीवति के मुख्य कारणों का वश्लिेषण कीजिए। (2017)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/peace-pact-in-tripura